

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता स्वशासी श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

क्रमांक... । ७।३।२ /स्था./राज/एम.सी./विज्ञप्त/2021

रीवा, दिनांक ११-०८-२१

// विज्ञप्ति //

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 2-53/2017/1/55 दिनांक 12.01.2018 एवं मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 2/19/2020/1/55 भोपाल दिनांक 17.11.2020 के परिपालन में चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में पदोन्नति/सीधी भर्ती के रिक्त पदों (बैकलॉग सहित) की पूर्ति सीधी भर्ती के माध्यम से किये जाने हेतु चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में कार्यरत (संस्था स्तर पर) पात्र एवं इच्छुक चिकित्सा शिक्षकों के आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25.08.2021 सायं 05:00 बजे तक अधिष्ठाता कार्यालय में आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र	विषय / विभाग	प्राध्यापक				सह-प्राध्यापक			
		अना.	अपिव	अजजा	अजा	अना.	अपिव	अजजा	अजा
1.	मानसिक रोग	01	—	—	—	—	—	—	—
2.	फिजियोलॉजी	01	—	—	—	—	—	—	—
3.	रंडियोडायग्नोसिस	02	—	—	—	—	—	—	—
4.	शिशु रोग विभाग	—	—	01	—	—	—	—	—
5.	डर्मटोलॉजी	—	—	—	—	01	—	—	—
6.	पी.एस.एम.	—	—	—	—	01	—	—	—
7.	फिजियोलॉजी	—	—	—	—	01	—	—	—
8.	एनेस्थीसिया	—	—	—	—	01	—	—	—
9.	प्लास्टिक सर्जरी	—	—	—	—	01	—	—	—
10.	रेडियोथेरेपी	—	—	—	—	01	—	—	—
कुल योग		04	—	01	—	06	—	—	—

- पदों की संख्या अधिक / कम की जा सकती है।

टीप :-

1. उपरोक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति एवं आरक्षण का निर्धारण माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में आरक्षण के संबंध में विचाराधीन प्रकरण में पारित निर्णय के अधीन रहेगा।
 2. विस्तृत जानकारी एवं आवेदन का प्रारूप चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की वेब साइट www.ssmcrewa.com पर उपलब्ध है।
 3. आवेदन शुल्क :- अनारक्षित श्रेणी हेतु रु. 1000/- तथा आरक्षित श्रेणी हेतु रु. 750/- का बैंक ड्राफ्ट मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता (CEO & DEAN SSMC REWA) श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम से देय होगा। आवेदन शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

कमिश्नर रीवा संभाग रीवा द्वारा अनुमोदित

Wendell

(डॉ. मनोज इन्द्रकर)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में सीधी भर्ती द्वारा सहायक

प्राध्यापक / प्रदर्शक पदों की पूर्ति संबंधी आवश्यक विवरण

1. वेतनमान	-	नियमित नियुक्ति हेतु
प्राध्यापक	-	37400-67000+10000 ग्रेड-पे, सांतवे वेतनमान का लेवल-14
सह-प्राध्यापक	-	37400-67000+9000 ग्रेड-पे, सांतवे वेतनमान का लेवल-13A

टीप — समस्त पदों के लिये राज्य शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत वेतनमान / निश्चित मानदेय एवं अन्य भत्ते आदि देय होगे।

2. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा ।

- जाति प्रमाण पत्र : आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।

3. अर्हताये :-

- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड द्वारा प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक पद हेतु भारत का राजपत्र (असाधारण), क्र. 205 भाग-III , खण्ड 4 दिनांक 12 फरवरी 2020 में प्रकाशित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (संशोधन) विनियमावली 2019 के अनुसार रहेगी।

4. निरहताये—

- 4.1 विकृत वित्त वाला होने पर।
- 4.2 दुश्चरित्र होने पर।
- 4.3 शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
- 4.4 नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा - किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।
- 4.5 विवाह संबंधी – जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरुष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।
दिनांक 26.01.2001 के पश्चात् जिस उम्मीदवार के जीवित बच्चों की संख्या 02 से अधिक हो गयी हो वह चयन के लिये पात्र नहीं होगा। परन्तु कोई उम्मीदवार जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान है तथा 26 जनवरी 2001 के पश्चात् आगामी प्रसव में 02 या 02 से अधिक संतान का जन्म होता है तो वह नियुक्ति के लिये अनर्ह नहीं होगा।
- 4.6 कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
- 4.7 कदाचरण संबंधी – किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
- 4.8 ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।
- 4.9 स्वास्थ्य संबंधी – चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् शारीरिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया जाए तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करें।

5. चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर अनुबंध पर की जावेगी।
6. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में सेवारत व्यक्ति, जो सीधी भर्ती के पद के लिये अहताधारी हो सीधी भर्ती के पद के विरुद्ध आवेदन देने के लिये स्वतन्त्र होगा और ऐसे आवेदन के लिये उसे नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लेना होगा। श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत् पात्र अभ्यर्थी आवेदन करते हैं तो साक्षात्कार में उपयुक्त पाये जाने पर नियुक्ति में प्राथमिकता दी जायेगी।
7. चिकित्सा शिक्षक को उसके पद के अनुरूप कर्त्तव्यों का तथा समय-समय पर सौंपे गये प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा।
8. ऐसे चिकित्सा शिक्षक जिनकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1987 के तहत की हो के द्वारा उच्च पद के लिये आवेदन किया जाता है और यदि उसका चयन किया जाता है तो वह स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में ऐसे वरिष्ठ पद पर लिया जा सकेगा।
9. आवेदक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की उम्र अथवा नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष, जो भी पहले हो तक संबंधित स्वशासी महाविद्यालय में सेवायें देनी होगी। आवेदक को इस बाबत् सम्यक रूप से स्टांपित एक बांड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन पर उसे एक वर्ष के वेतन / मानदेय के बराबर की राशि महाविद्यालय को चुकानी होगी।
10. मध्य प्रदेश शासन के स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत चिकित्सक हेतु प्रतिनियुक्ति के लिये मूल नियोक्ता की सहमति अनिवार्य होगी।
11. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :— स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में आवेदन पत्र दिनांक 25.08.2021 सायं 05.00 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिये। आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा कराये जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। किसी भी अवस्था में आवेदन शुल्क लौटाई नहीं जायेगी।
12. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
13. आवेदन शुल्क :— अनारक्षित श्रेणी से रु. 1000/- तथा आरक्षित श्रेणी अजा, अजजा एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से रु. 750/- का बैंक ड्राफ्ट मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता (CEO & DEAN SSMC REWA) श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम से देय होगा। आवेदन के साथ संलग्न करें। आवेदन शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
14. उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रीवा मध्यप्रदेश की वेबसाईट www.ssmcrewa.com पर उपलब्ध है।

महत्वपूर्ण टीप :— यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अहतायें और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अहता की जांच स्वयं करे ते ओर अहता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनहूं पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

आवेदन का प्रारूप

.....के पद/विषय हेतु आवेदन-पत्र

नोट: सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।

विज्ञापन क्र. दिनांक

बैंक डी.डी. क्रमांक.....

स्वप्र माणित
फोटो

1. आवेदक का नाम

2. पुरुष / महिला

3. पिता / पति का नाम (उपनाम सहित).....

4. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित).....

.....
शहर का नाम..... फोन नं.....

मोबाइल नं..... ईमेलआईडी.....

5. स्थाई पता.....

.....
शहर का नाम..... फोन नं.....

मोबाइल नं.....

6. आधार कार्ड नम्बर (हो तो)

7. जन्मतिथि (हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची संलग्न करें)...../...../.....

8. दिनांक 01.01.2022 को आवेदक की आयुदिन माह वर्ष

9. आवेदक की वैवाहिक स्थिति— विवाहित / अविवाहित

10. विवाह का दिनांक—

11. वर्ग : अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विकलांग (आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

12. मेडिकल काउन्सिल का पंजीयन क्रमांक एवं नाम तथा दिनांक

क्र.	डिग्री / डिप्लोमा	काउन्सिल का नाम	पंजीयन क्रमांक	दिनांक / वैद्यता दिनांक
1.	एम.बी.बी.एस.			
2.	एमडी / एमएस			
3.	एमसीएच / डीएम			
4.	अन्य			

13. शैक्षणिक योग्यताएँ:- (प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड / वि.वि.	वर्ष	विषय	प्राप्तांक / पूर्णांक	एम.बी.बी.एस. के कुल प्राप्तांक/ प्रतिशत	प्रयास (Attempt)
1	2	3	4	5	6	7	
1	MBBS First Prof.						
2	MBBS Second Prof.						
3	MBBS Final Part I						
4	MBBS Final Part II						
5	MD/MS/MCH/DM						
6	S.R.						

(प्रत्येक वर्ष का पृथक-पृथक भरे)

नोट: प्रत्येक परीक्षा के प्रयास (Attempt) प्रमाण पत्र अधिष्ठाता द्वारा प्रदत्त हो संलग्न करें।

14. शैक्षणिक अनुभव :-

क्रमांक	पदनाम	संस्थान का नाम	कब से	कब तक	कुल अवधि
1	प्राध्यापक				
2	सह प्राध्यापक				
3	सहायक प्राध्यापक				
4	ट्रियूटर/ प्रदर्शक				
5	वर्तमान पद/ कार्य				

15. रिसर्च पब्लिकेशन :-

क्रमांक	पदनाम	रिसर्च पब्लिकेशन
1	प्राध्यापक	
2	सह प्राध्यापक	
3	सहायक प्राध्यापक	
4	ट्रियूटर/ प्रदर्शक	

16. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची -----

स्थान.....

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांक.....

/ / घोषणा-पत्र / /

- मैं प्रमाणित करता/ करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/ नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- मेरे विरुद्ध पुलिस प्रकरण में एफ आई आर दर्ज नहीं है, और मेरे विरुद्ध कोई विभागीय जांच प्रचलन में नहीं है।
- मैं प्रमाणित करता/ करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरुद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है।
- म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 मुझ पर पूर्ण रूपेण बंधनकारी होंगे।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर